छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा　　दशम सत्र　　अंक-03

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2016

(कार्तिक 26, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 17 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने लाठी चार्ज पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। श्री अमित अजीत जोगी द्वारा आरोपात्मक कथन किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन स्थगन का विषय नहीं होता, इसलिए इसे अग्राह्य कर दिया है।

(सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक, सदस्य गर्भगृह में आये।)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि कल दिनांक 16.11.2016 को दिन के लगभग 12.45 बजे से 1.20 बजे तक इस सभा के माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी, श्री

सियाराम कौशिक एवं श्री आर.के.राय विधान सभा परिसर स्थित गांधी जी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे और तीन अन्य व्यक्तियों के भी प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रवेश पत्र बनवाकर अपने साथ धरने में सम्मिलित किया। तत्संबंधी समाचार भी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि इस सभा भवन एवं परिसर का उपयोग धरना, प्रदर्शन आदि के लिए किया जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद माननीय सदस्यों के द्वारा बाहरी व्यक्तियों को धरने में सम्मिलित किया जाना नितांत अनुचित है।

मैं इस सभा के माध्यम से माननीय सदस्यों के आचरण एवं कृत्य के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए यह निर्देशित करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करें।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2015-2016 (दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक), तथा

(2) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक 2013-2014 **पटल पर रखे।**

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

सभा के गर्भगृह में आने पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये । माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए।

(निलंबित सदस्य सभा से बाहर गए)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, दीपक बैज, मोहन मरकाम, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर ब्लाक के हितामेटा पोटाकेबिन के छात्रों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

7.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित हुए सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, मनोज सिंह मंडावी, अरूण् वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, उइके रामदयाल, सियाराम कौशिक भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू, जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा, गिरवर जंघेल एवं श्री अमित अजीत जोगी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित की जावेगी।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर स्थित नंदनवन जू वीरान होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

11.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित हुए सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं आग्रह किया कि निलंबित सदस्य कार्यवाही में भाग लें।

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) श्री नवीन मारकण्डेय
(4) श्री बृहस्पत सिंह

13. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 06, 07)	सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल	45 मिनट
2. (क्रमांक - 11)	श्री अवधेश सिंह चंदेल	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

मानननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 58, 64, 65, 66, 67, 71, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार आठ सौ करोड़, उनहत्तर लाख, निन्यानबे हजार, नौ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(1.11 से 2.33 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, संतराम नेताम, अवधेश सिंह चंदेल, दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अशोक साहू, भोलाराम साहू, भोजराज नाग, उमेश पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री केशव चंद्रा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, (डॉ) विमल चोपड़ा, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), लालजीत सिंह राठिया, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम (6) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 (क्रमांक-27 सन् 2016)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 (क्रमांक-27 सन् 2016) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 (क्रमांक-27 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 नवंबर, 2016 (कार्तिक, 27 शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा